तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
...५-१६	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सूरी (पाली)

न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी– पर्वतसिंह चुण्डावत (RAS)
राजस्व विविध मुकदमा संख्या–56/2014
तारीख निर्णय–12/04/2016

प्रार्थीगणप :–

1– ढलाराम पुत्र कसाजी, जाति देवासी, निवासी– परकेरा ढाणी, नाडोल,
2– अमराराम पुत्र मनाराम देवासी निवासी– परकेरा ढाणी, नाडोल,
3– हराराम पुत्र श्री नवलाजी, जाति– देवासी, निवासी– परकेरा ढाणी, नाडोल,
4– पुनाराम पुत्र हीरारामजी, जाति– देवासी, निवासी– हीराबा की ढाणी, नाडोल,
5– बाबुलाल पुत्र वगतारामजी, जाति– चौधरी, निवासी– नवा अरट परकेरा ढाणी, नाडोल,
6– मेघाराम पुत्र देवारामजी, जाति– सिरवी, निवासी– नवा अरट, परकेरा ढडाणी, नाडोल, तहसील– देसूरी, जिला– पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण–

1– घीसाराम,
2– अचलाराम,
3– पुनाराम,
4– चतराराम पिसरान् रताजी, जातिगण– सिरवी, निवासीगण– नवा अरट, ओरण आशापुरा, नाडोल,
5– राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी जिला– पाली

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251–क राज0काश्त0अधि0:–

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव एवं श्री दिलीप व्यास।
अप्रार्थीगण संख्या–1 से 4 अनुपस्थित।
अप्रार्थी सं0–5 की ओर से सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :– दिनांक–12/04/2016

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि–प्रार्थीगण द्वारा इस आशय का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251 –क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– प्रार्थीगण ग्राम नाडोल, परकेरा की ढाणी उव हीरा बा की ढाणी व मोडा मगरी के निवासीगण है एवं काफी वर्षो से ढाणिों मे रहवास कर रहे है। प्रार्थीगण के पास मे ही परकेरा की ढााणी (धना की ढाणी) में बच्चो का सरकारी प्राथमिक स्कूल स्थित है। उक्त स्कूल मे आस पास की ढाणियों व बेरे पर रहने वाले काश्तकारो के बच्चे आकर पढाई करते है। प्रार्थीगण व अन्य लोग वि स्कूल के बच्चे ग्राम नाडोल चक–2 मे स्थित खसरा नम्बर– 3258 व 3259 की माठ के सहारे–सहारे होकर आते जाते रहे है एवं उक्त रास्ते का उपयोग– उपभोग पीढियों से करते आ रहे

———क्रमश : पेज– 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

है, जो उक्त रास्ता सलंग्न नक्शे मे मार्क "ए" से "बी" मे दर्शित है। खसरा नम्बर– 3258 व 3259 के काश्तकार जो अप्रार्थीगण संख्या–1 से 5 है जिन्होने हाल ही मे उक्त चालु रास्ते को जे.सी.बी. लगाकर पूर्ण रूप से धोरा पाली व बाड लगाकर अवरूद्ध व बन्द कर दिया है इस कारण ढाणियों मे व बेरे पर रहने उवाले काश्तकारो के खेतो मे आने जाने एवं स्कूल के बच्चो के आने–जाने का रास्ता पूर्ण रूप से बन्द हो गया है अब अन्य कोई रास्ता स्कूल व आने जाने हेतू मौजूद नही है इस रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारो व बच्चो को भारी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। खसरा नम्बर– 3335 जो नक्शे मे आमक रास्ता है जो उक्त रास्ते के पास खसरा नम्बर– 3258 व 3259 जो अप्रार्थीगणप संख्या–1 से 5 की सह खातेदारी की भूमि है इसके आगे खसरा नम्बर– 3261 जो राजकीय सिवाय चक भूमि है। चूँकि उक्त खसरा नम्बर– 3258 व 3259 की माठ के सहारे–सहारे खसरा नम्बर– 3261 सिवाय चक भूमि तक रास्ता बना हुआ है जो रास्ता बन्द है। चूँकि प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारो व बच्चो के स्कूल आने– जाने हेतू उक्त रास्ता जो संलग्न नक्शा मे मार्क– "सी" से "डी" व "डी से "ई" तक उक्त रास्ता दिलाया जा एसकता है एवं उक्त रास्ते का उपयोग करके आगे खसरा नम्बर–3365 के मुख्य रास्ते तक पहुचा जा सकता है जो उक्त रास्ता दिलाया जाना प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारो व बच्चो के लिये सुविधाजनक व उचित रहेगा। प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारो को अपने खेतो व बेरा पर आने जाने एवं स्कूल के बच्चो को सुविधाजनक रूप से स्कूल आने–जाने हेतु खसरा नम्बर– 3259 की माठ के सहारे– सहारे जो सलंग्न नक्शे मे "सी" से "डी" व "डी से "ई" तक दर्शित है जो उक्त 20 फीट चौडा रास्ता खसरा नम्बर–3261 की माठ तक एवं आगे खसरा नम्बर–3261 को राजकीय सिवाय चक भूमि खुली पडी है उसमे से 20 फीट चौडा रास्ता खसरा नम्बर–3365 के मुख्य आम रास्ते तक पहुंचने हेतु रास्ता दिलाया जाना न्यायहित व जनहित मे नितांत आवश्यक हैं उक्त नया रास्ता जो 20 फीट चौडा जो सलंग्न नक्शे मे दर्शित है वो दिलाया जाना एवं उक्त रास्ते के नियमानुसार डी.एल.सी. दर से मुआवजा राशि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अदा करने हेतु तैयार व तत्पर है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमावे एवं प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारो व स्कूल के बच्चो को आने– जाने नया रास्ता संलग्न नक्शे मे मार्क– "सी" से "डी" व "डी से "ई" तक 20 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने एवं उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे तरमीम करने हेतू आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या–1 से 4 की ओर से कोई जबाब नही दिया गया एवं अप्रार्थी संख्या–5 की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस मे अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीण की भूमि खसरा नम्बर– 3259 व सरकारी भूमि खसरा नम्बर– 3261 मे से रास्ता चाहा है खसरा नम्बर– 3235 रास्ता से 3339 रास्ता तक आना– जाना है । प्रार्थीगण के आराजी नम्बर–

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

———कमश : पेज– 3 पर.....

3283/5568/5848, 3332, 3375, 3376, 3377 है खसरा नम्बर– 3235 से 3339 को जोडना है वाया 3259, 3261 खसरा नमबर–3235 से 3339 तक आने के लिये अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है। जो राशि नियमानुसार डीएलसी दर से निर्धारित की जाती है वह जमा कराने को तैयार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार करावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया । प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारो को अपने खेता व बेरा पर आने जाने एवं स्कूल के बच्चो को सुविधाजनक रूप से स्कूल आने जाने हेतू खसरा नम्बर– 3235 रास्ता से अन्य रास्ता खसरा नम्बर 3339 तक रास्ता अप्रार्थीण की भूमि खसरा नम्बर– 3259 व सरकारी भूमि खसरा नम्बर– 3261 मे से होकर रास्ता चाहा है एवं प्रार्थीगण ने अपने स्वयं के प्रार्थना–पत्र के पैरा–2 व 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि "प्रार्थीगण व अन्य लोग व स्कूल के बच्चे ग्राम नाडोल चक–2 में स्थित खसरा नम्बर– 3258 व 3259 की माठ के सहारे– सहारे होकर आते– जोते रहे है एवं उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग पीढियों से करते आ रहे ह जो उक्त रास्ता सलंग्न नक्शे मे मार्क "ए" से "बी" से दर्शित है खसरा नम्बर– 3258 व 3259 के काश्तकार अप्रार्थीगण ने हाल ही मे रास्ते को जे.सी.बी. लगाकर पूर्ण रूप से धोरा पाली व बाड लगाकर अवरूद्ध व बंद कर दिया है इस कारण ढाणियों में व बेरे पर रहने वाले काश्तकारो के खेतो मे आने– जाने एवं स्कूल के बच्चो के आने जाने का रास्ता पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारो को अपने खेतो व बेरा पर आने जाने एवं स्कूल के बच्चो को सुविधाजनक रूप से स्कूल आने–जाने हेतु खसरा नम्बर– 3259 की माठ के सहारे– सहारे जो सलंग्न नक्शे मे "सी" से "डी" व "डी से "ई" तक दर्शित है जो उक्त 20 फीट चौडा रास्ता खसरा नम्बर–3261 की माठ तक एवं आगे खसरा नम्बर–3261 को राजकीय सिवाय चक भूमि खुली पडी है उसमे से 20 फीट चौडा रास्ता खसरा नम्बर–3365 के मुख्य आम रास्ते तक पहुंचने हेतु रास्ता दिलाया जाना न्यायहित व जनहित मे नितांत आवश्यक हैं।"

इस प्रकार प्रार्थीगण अपने व अन्य काश्तकारो को अपने खेता व बेरा पर आने जाने एवं स्कूल के बच्चो को सुविधाजनक रूप से स्कूल आने जाने हेतू खसरा नम्बर– 3235 रास्ता से अन्य रास्ता खसरा नम्बर 3339 तक नया रास्ता अप्रार्थीण की भूमि खसरा नम्बर– 3259 व सरकारी भूमि खसरा नम्बर– 3261 मे से होकर रास्ता चाहा है एवं उक्त दोनो रास्तो खसरा नम्बर– 3235 एवं 3339 के बीच में प्रार्थीगण की कोई खातेदारी की भूमि भी स्थित नही है, जो पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व नक्शा से स्पष्ट साबित है। इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त दोनो मार्गो रास्ता खसरा नम्बर– 3235 एवं 3339 को जोडने हेतू अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं सरकारी सिवाय चक भूमि मे से रास्ता चाहता है, जबकि धारा– 251–क के प्रावधानो अनुसार किसी खातेदार अभिधारी की खातेदारी की जोत मे पहुचने हेतू वैकल्पित साधन रास्ता का अभाव सिद्ध होने एवं यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता होने पर और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही होने पर ही एक अभिधारी खातेदार या अभिधारियों खातेदारो का

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

———क्रमश : पेज– 4 पर.....

समूह अपनी खातेदारी भूमि मे पहुॅचने हेतू पास मे स्थित अन्य खातेदार अभिधारी की खातेदारी भूमि मे से होकर नया रास्ता प्राप्त कर सकता है, जिससे प्रार्थीगण का यह हस्तगत मामला धारा– 251–क की परीधि में नही आता है। एवं प्रार्थीगण की स्वयं की इस स्वीकारोक्ति से कि ''रास्ता खसरा नम्बर– 3258 व 3259 की माठ के सहारे–सहारे होकर आते– जोते रहे है एवं उक्त रास्ते का उपयोग– उपभोग पीढियों से करते आ रहे है जो उक्त रास्ता सलंग्न नक्शे मे मार्क ''ए'' से ''बी'' से दर्शित है, उसे खसरा नम्बर– 3258 व 3259 के काश्तकार अप्रार्थीगण ने हाल ही मे रास्ते को जे.सी.बी. लगाकर पूर्ण रूप से धोरा पाली व बाड लगाकर अवरूद्ध व बंद कर दिया है।'' वैकल्पिक रास्ता साधन का अभाव सिद्ध नही होता है। प्रार्थीगण के कथनानुसार पीढीयों का कदीमी रास्ता के संबंध मे धारा– 215 राज0काश्त0 अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खुलवा सकते है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र मे उनकी खातेदारी जोत का कही उल्लेख नही किया है अपनी बहस मे जरूर आराजी नम्बर– 3283/5568/5848, 3332, 3375, 3376, 3377 उनकी खातेदारी की होना अवश्य बताया है किन्तु राजस्व अभिलेख से प्रार्थीगण साबित नही करा पाये है एवं बहस मे जिन खसरो की आराजी उनकी खातेदारी का होना बताया है, उनसे लगता उत्तर पश्चिम तरफ खसरा नम्बर– 3339 रास्ता की भूमि स्थित होना प्रस्तुत राजस्व नक्शा की प्रति एवं जमाबंदियो से साबित है जिससे वैकल्पित साधन का अभाव सिद्ध नही होता है। यहां धारा– 251–क के संबंध मे उल्लेख करना आवश्यक समझता हूॅ, जो इस प्रकार है–

धारा 251–क की उपधारा (1) के अनुसार–

(1) जहां–

"(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना चाहता है, या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है, तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(।)–यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है, और

(।।)–अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है :– तो आदेश द्वारा.

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा– 251–क और

उपखण्ड अधिकारी

———क्रमश : पेज– 5 पर.....

तत्सम्बन्धी नियमो अनुसार उपरोक्त विवेचन में मेरी राय मे एक रास्ता को अन्य दुसरे रास्ते को जोडे जाने हेतू नये रास्ता की मांग करना एवं वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नही होने से एवं प्रार्थीगण खातेदार अभिधारी नही होने एवं प्रार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी अभिधारी की जोत आराजी मे पहुॅचने हेतू किसी समिप मे स्थित अन्य खातेदार अभिधारी की जोत भूमि मे से होकर नया रास्ता नही चाहा है। उपरोक्त विवेचन में मेरी विनम्र राय मे प्रार्थीगण का हस्तगत प्रकरण धारा– 251–क की परीधि में नही आता है यानि 251–क के प्रावधानो के तहत नही आता है अतः मेरी राय मे प्रार्थीगण धारा– 251–क के तहत कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है एवं प्रार्थीगण का यह आवेदन सारहिन एवं विधिरहित होने से निरस्त योग्य है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251–क राज0 काश्त0 अधिनियम अस्वीकार किया जाकर निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी,
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक– 12/04/2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)